Wildlife Protection in India – Part 2

Topic List

- NWAP (National Wildlife Action Plan)
- Species Recovery Programme
- CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

1. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (National Wildlife Action Plan) 2017-2031

1.1. परिचय

- भारत ने अक्टूबर 2017 में 2017-2031 के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का अनावरण किया, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए भविष्य का मार्ग नक्शा बताया गया।
- पहली योजना 1983 में आई थी और दूसरी 2002 से 2016 तक थी।
- यह योजना फरवरी 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका मसौदा मंत्रालय के पूर्व सचिव जेसी कला की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय समिति ने तैयार किया था।

1.2. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-2031 की मुख्य विशेषताएं

इस योजना के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में वन्यजीव योजना में जलवायु परिवर्तन का एकीकरण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष का शमन, तथा वन्यजीव स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- यह वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को पहचानने वाली पहली वन्यजीव कार्य योजना है।
- इसने वन्यजीव प्रबंधन योजना प्रक्रियाओं में इसके शमन और अनुकूलन के लिए कार्यों को एकीकृत करने पर जोर दिया है।
- इसने वन्यजीवों के सहायक प्रवासन और पारिस्थितिक ढाल के साथ प्रत्याशित रोपण की सिफारिश की, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ वृक्ष प्रजातियों की मृत्यु हो सकती है जो नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में असमर्थ हैं।

दृष्टिकोण

- यह सभी वन्यजीवों - अप्रयुक्त वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में एक परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाता है जिनका पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य होता है, भले ही वे कहीं भी पाए जाते हों।
- यह वन्यजीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों के आवासों को संरक्षित करते हुए उनकी पुनर्प्राप्ति पर विशेष जोर देता है।

मानव-पशु संघर्ष संबंधी चिंताएँ

- यह जंगली जानवरों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रति बैर पैदा करने वाले आवासों के संकुचन, विखंडन और गिरावट के कारण बढ़ते मानव-पशु संघर्ष को संबोधित करता है।

लोगों का समर्थन

- यह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों के समर्थन की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- यह पर्यावरण-विकास, शिक्षा, नवाचार, प्रशिक्षण, विस्तार और संरक्षण जागरूकता और पहुँच कार्यक्रमों की सिफारिश करता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

- यह वन्यजीव संरक्षण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।
- इसमें कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) निधि सहित पर्याप्त और निरंतर धन उपलब्ध कराया जाए।

2. प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम

- प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats-IDWH) के तीन घटकों में से एक है।
- IDWH की शुरुआत 2008-09 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इसे 11वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ववर्ती योजना - "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" में और अधिक घटकों और गतिविधियों को जोड़कर चालू किया गया है।
- IDWH का कार्य है
    - संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, टाइगर रिजर्व को छोड़कर) को सहायता प्रदान करना,
    - संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा, और
    - गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और आवासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम।

2.1. प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजातियों की संख्या

प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत अब तक 22 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। ये है:

English Name	Hindi Name
Asian Wild Buffalo	एशियाई जंगली भैंस

Asiatic Lion	एशियाई शेर
Brow-antlered deer or Sangai	भौंह-मृग हिरण या संगाई
Dugong	डुगोंग
Edible Nest Swiftlet	खाद्य घोंसला स्विफ्टलेट
Gangetic River Dolphin	गंगा नदी डॉल्फिन
Great Indian Bustard	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
Hangul	हंगुल
Indian Rhino or Great One-horned Rhinoceros	भारतीय गैंडा या एक सींग वाला गैंडा
Jerdon's Courser	जेरडन कोर्सर
Malabar Civet	मालाबार सिवेट
Marine Turtles*	समुद्री कछुए
Nicobar Megapode	निकोबार मेगापोड
Nilgiri Tahr	नीलगिरि तहर
Snow Leopard	हिम तेंदुआ
Swamp Deer	बारहसिंगा
Vultures*	गिद्ध

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Northern River Terrapin	उत्तरी नदी टेरापिन
Clouded Leopard	धूमिल तेंदुआ
Arabian Sea Humpback Whale	अरब सागर हंपबैक व्हेल
Red Panda	लाल पांडा
Caracal	कैरकल

3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन

3.1. वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES))

- CITES जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों में विश्वव्यापी वाणिज्यिक व्यापार को विनियमित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- यह अभिसमय के राज्य पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो इसके लक्ष्यों को लागू करने के लिए अपने स्वयं के घरेलू कानून को अपनाने के लिए बाध्य हैं।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जंगली प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।

3.1.1. स्वीकृति और सचिवालय

- इसे 1963 में IUCN के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था।
- यह जुलाई 1975 में लागू हुआ।
- फिलहाल इसमें 184 पार्टियां शामिल हैं। भारत 1976 से CITES का पार्टी रहा है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
- इसका सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

3.1.2. CITES परिशिष्ट

यह खतरे के आधार पर पौधों और जानवरों को तीन श्रेणियों या परिशिष्टों के अनुसार वर्गीकृत करता है। वे हैं:

परिशिष्ट I

- यह उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो CITES-सूचीबद्ध जानवरों और पौधों में सबसे अधिक खतरे में हैं।
- उन्हें विलुप्त होने का खतरा है और CITES इन प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय इसके कि जब आयात का उद्देश्य वाणिज्यिक न हो, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए।
- इन असाधारण मामलों में, व्यापार हो सकता है बशर्ते कि यह आयात परमिट और निर्यात परमिट (या पुनः निर्यात प्रमाणपत्र) दोनों प्रदान करके अधिकृत हो।

परिशिष्ट II

- इसमें उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो कि अब विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं, लेकिन ऐसा तब तक ही हो सकता है जब तक व्यापार को बारीकी से नियंत्रित किया जा रहा है।
- इसमें तथाकथित "समान दिखने वाली प्रजातियाँ" भी शामिल हैं, अर्थात वे प्रजातियाँ जिनके नमूने व्यापार में संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध प्रजातियों के समान दिखते हैं।
- परिशिष्ट-II प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाणपत्र देकर अधिकृत किया जा सकता है।
- CITES के तहत इन प्रजातियों के लिए कोई आयात परमिट आवश्यक नहीं है।
- परमिट या प्रमाणपत्र केवल तभी दिए जाने चाहिए जब संबंधित अधिकारी संतुष्ट हों कि कुछ शर्तें पूरी की गई हैं, सबसे विशेषकर यह कि व्यापार जंगल में प्रजातियों के अस्तित्व के लिए हानिकारक नहीं होगा।

परिशिष्ट III

- यह उस पार्टी के अनुरोध पर शामिल प्रजातियों की एक सूची है जो पहले से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करती है और जिसे अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है।
- इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति केवल उचित परमिट या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाती है।

3.1.2.1. जोड़ना या हटाना

- प्रजातियों को परिशिष्ट I और II में जोड़ा या हटाया जा सकता है, या उनके बीच स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल पार्टियों के सम्मेलन द्वारा, या तो इसकी नियमित बैठकों में या डाक प्रक्रियाओं द्वारा।
- लेकिन प्रजातियों को किसी भी समय और किसी भी पार्टी द्वारा एकतरफा परिशिष्ट III में जोड़ा या हटाया जा सकता है।